भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5274

(दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी मंच पर अश्लील सामग्री के बारे में शिकायतें

5274. डॉ. के. सुधाकरः

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

श्रीमती हिमाद्री सिंहः

डॉ. निशिकान्त दुबेः

श्री दामोदर अग्रवालः

श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

श्री दिलीप शइकीयाः

श्री लुम्बाराम चौधरीः

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

श्री भर्तृहरि महताबः

श्री आलोक शर्माः

श्री जनार्दन मिश्राः

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओवर द टॉप (ओटीटी) मंचों पर घटिया, अश्लील और अभद्र सामग्री के प्रसारण से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फरवरी 2025 तक कितनी है और उक्त शिकायतों में से कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में ओटीटी मंचों को कोई परामर्श निर्देश जारी किए गए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ओटीटी मंचों पर घटिया, अश्लील और अभद्र सामग्री फैलाने के दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ओटीटी मंचों पर प्रसार भारती को शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या प्रसार भारती ओटीटी पर निजी चैनलों के प्रसारण को प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं।

इन नियमों के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित भाग-III में ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता और संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए आवश्यक है कि वे कोई भी ऐसी सामग्री प्रसारित नहीं करें, जो वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा निषिद्ध है और उन्हें नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशा-निर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु आधारित स्व-वर्गीकरण 5 श्रेणियों में करने की आवश्यकता है।

ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री से संबंधित शिकायतों को आईटी नियम, 2021 के तहत तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से निपटाया जाता है , जिसमें उचित कार्रवाई करने के लिए प्रकाशक के माध्यम से शिकायत निवारण का स्तर-I होता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के स्व-नियामक निकायों को अपने प्लेटफॉर्मों पर सामग्री होस्ट करते समय भारतीय कानूनों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 19.02.2025 को एक एडवाइजरी जारी की है।

(घ) और (ङ): प्रसार भारती ने नवंबर 2024 में अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 'वेव्स' लॉन्च किया है, ताकि पारंपरिक प्रसारण के पूरक के रूप में लीनियर प्रसारण चैनलों पर संभव सामग्री से परे व्यापक श्रेणी की सामग्री प्रदर्शित की जा सके। अनुमति प्राप्त प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को वेव्स प्लेटफॉर्म पर प्रसारण करने की अनुमति दी गई है।

*****